न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 16/2023 राजस्व वाद

1. देवीलाल पिता भीमा गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी गुन्दली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. देउ पत्नी भीमा गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी गुन्दली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. रूकमा पुत्री भीमा गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी गुन्दली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

–वादीया

बनाम

1. नारायण पिता गणेश गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी गुन्दली, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. देबी पिता गिरधारी गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी गुन्दली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. सरजू पत्नी भवाना गुर्जर जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी गुन्दली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा राज0

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् कब्जा दिलाये जाने हेतु

उपस्थित अधिवक्ता –

1. श्री मांगीलाल सेन : वादीगण
2. प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय दिनांक– 7.1.2026

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल सेन द्वारा दिनांक 23.02.2023 को वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया, जिसे रिपोर्ट उपरान्त रजिस्टर में क्रम संख्या 16/2023 पर पंजीबद्ध किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि–

वादीगण के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि ग्राम गुन्दली पटवार हल्का गुन्दली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पांसल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा में आराजी संख्या 1522/1, 1535/1, 174/1, 1948/180, 596/1, 599/1, 691/1, 699/1 कुल किता 8 कुल रकबा 2.7820 हैक्टयर भूमि स्थित है।

वादीगण के खातेदारी अधिकार स्वामित्व आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम गुन्दली पटवार हल्का गुन्दली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पांसल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा में अन्य आराजियात के साथ आराजी संख्या 174/1 रकबा 1.3657 हैक्टयर व 1948/180 रकबा 0.1897 हैक्टयर कुल किता 02 कुल रकबा 1.5554 हैक्टयर भूमि स्थित है, जो कि राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज चली आ रही है।

वादीगण वादग्रस्त कृषि आराजियात पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा वादी ने उक्त आराजी व अन्य आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु एक प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, भीलवाडा जिला भीलवाडा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 80/2022 राजस्व प्रार्थनापत्र कायम हुए जिसका निर्णय दिनांक 15.02.2022 को हुआ, जिससे दिनांक 18.11.2022 को आराजी नम्बर 174/1 रकबा 1.3657 हैक्टयर व 1948/180 रकबा 0.1897 हैक्टयर कुल किता 02 कुल रकबा कुल रकबा 1.5554 हैक्टयर भूमि के साथ अन्य आराजियात की पत्थरगढी भू०अभिलेंख पांसल गिरदावर व पटवार हल्का द्वारा मौका निरीक्षण कर पत्थरगढी की गयी, जिसमे वादीगण की आराजी नम्बर 1948/180 पर पडोसी खातेदारान सरजु पत्नि भवाना वगैराह का 00 बीघा 12 बिस्वा पर व नारायण पिता गणेश वगैराह का 00 बीघा 02 बिस्वा 10 बिस्वांसी पर व देबी पिता गिरधारी गुर्जर का 00 बीघा 00 बिस्वा 10 बिस्वांसी यानि (आधा बिस्वा) कुल रकबा 00 बीघा 15 बिस्वा यानि आराजी नम्बर 1948/180 सम्पूर्ण आराजी पर प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का कब्जा पाया गया जिससे वादीगण की आराजी नम्बर 1948/180 में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 का कोई हक अधिकार नही है।

7/1/26

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 को कई बार वादग्रस्त आराजी नम्बर 1948/180 रकबा 0.1897 हैक्टयर भूमि पर किये गये कब्जे को छोडने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 ने कोई ध्यान नहीं दिया व अन्तिम बार वादीगण ने दिनांक 20.01.2023 को उनके द्वारा भूमि पर किये गये कब्जे को छोड़कर, उक्त भूमि का कब्जा वादीगण को सिपूर्द करने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 वादीगण के साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हो गया तथा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 ने वादीगण को धमकी दी कि वादीगण की मर्जी आये जो कर लेना, प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 उक्त आराजीयात से कब्जा नही छोडेगा तथा वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 का कुछ नहीं बिगाड सकता है इस कारण से वादीगण को यह वादपत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है। वादीगण के पक्ष मे एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के विरूद्ध इस आशय की कब्जेयाबी की डिकी सादिर फरमायी जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 का वादग्रस्त आराजी नम्बर 1948/180 रकबा 1897 हैक्टयर भूमि पर किये गये कब्जे को हटाकर पुनः वादीगण को सिपुर्द कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के विरूद्ध बिनाय वाद कारण दिनांक 30.01.2022 को कब्जा कर लेने व दिनांक 18.11.2022 को मौका पर्चा बनने व दिनांक 20.01.2023 को कब्जा छोडने से ईन्कार कर देने से उत्पन्न होकर जारी है।

प्रतिवादी संख्या 04 राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार भीलवाडा को भी पक्षकार बनाया गया जिनके विरूद्ध विषेश अनुतौष प्राप्त नहीं होकर कतिपय अनुतौष प्राप्त है।

प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम बाबत् कब्जे दिलाया जाने कृषि आराजियात का है जो कि इस वादपत्र की सुनवाई का श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को होने से वादपत्र न्यायालय श्रीमान के यहां प्रस्तुत है।

विवादग्रस्त कृषि आराजियात वाके ग्राम गुन्दली पटवार हल्का गुन्दली भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र पांसल तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०) मे स्थित है जो कि श्रीमान के क्षेत्र में स्थित है अतः वादपत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को होने से वादपत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना है कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम बाबत् कब्जा दिलाया जाने कृषि भूमि का स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की कब्जेयाबी की डिक्री सादिर फरमाई जावें कि वादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम गुन्दली पटवार हल्का गुन्दली भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र पांसल तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०) में स्थित कृषि आराजी नम्बर 1948/180 रकबा 0.1897 हैक्टयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 से 03 से कब्जा दिलाने की कब्जेयाबी डिक्री वादीगण के पक्ष में एंव प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के विरूद्ध सादिर फरमायी जावें।

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम बाबत् कब्जा दिलाया जाने का स्वीकार फरमाया जाकर वाके ग्राम गुन्दली पटवार हल्का गुन्दली भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र पांसल तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०) में स्थित कृषि आराजी नम्बर 1948/180 रकबा 0.1897 हैक्टयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 से 03 द्वारा कब्जा करने की दिनांक से पुनः वादीगण को कब्जा सिपूर्द होने की दिनांक तक हर्जाना राशी प्रतिमाह 5000/– रूपया के हिसाब से वादीगण को प्रतिवादी सख्या 01 से 03 से दिलाया जावें।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 02 के सम्मन बाद तामिल दिनांक 05.04.2024 को प्राप्त हुए, जिन्हे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा तामिल लेने से इंकार करने पर दिनांक 11.02.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु न्यायहित में पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं करने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 04 फोरमल पक्षकार होने से जवाब बंद किया गया।

7/5/25

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

प्रकरण में वादी अधिवक्ता द्वारा गवाह श्री देवीलाल पिता भीमा गुर्जर एवं सुखदेव पिता रामा गुर्जर का शपथ पत्र दिनांक 04.03.2025 को पेश किया गया जिसे शामिल मिसल किया तथा मुख्य परीक्षा कराई गई।

वादी देवीलाल द्वारा वादपत्र के समर्थन में निम्नांकित दस्तावेज प्रदर्श कराये गये:–

1. जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 प्रदर्श–1
2. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 80/2022 के निर्णय दिनांक 15.02.2022 के आदेश की प्रति प्रदर्श–2
3. पटवारी हल्का/भू0 अ0 नि0 द्वारा सूचना पत्र बाबत पत्थरगढी की प्रति प्रदर्श–3
4. भू0अ0नि0 पांसल द्वारा बनाया गया मौका पर्चा प्रदर्श–4
5. आराजी संख्या 1948/180 के नक्शा ट्रेस की प्रति प्रदर्श–5

वादी द्वारा साक्ष्य में प्रदर्श–3 से प्रदर्श 5 की प्रमाणित प्रति पेश नहीं करने से साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होने के कारण साक्ष्य में प्रदर्श नहीं किये गये।

दिनांक 16.03.2026 को वादीया रूकमा देवी का साक्ष्य में शपथ पत्र तथा पत्थरगढ़ी हेतु वादीगण एवं प्रतिवादीगण को जारी सूचना पत्र तथा मौका पर्चा की प्रमाणित प्रति पेश किये जिन्हे शामिल मिसल किया गया तथा मुख्य परीक्षा कराई गई।

वादीया रूकमा देवी द्वारा वादपत्र के समर्थन में निम्नांकित दस्तावेज प्रदर्श कराये गये:–

1. पत्थरगढी किये जाने के बाद मौका पर्चा बनाया गया जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श–3
2. प्रतिवादीगण को जारी सूचना पत्र प्रदर्श–4

वादी अधिवक्ता द्वारा वादी की पहचान की गई एवं वादी एवं वादी अधिवक्ता द्वारा आदेशिका पर अंकन किया कि और कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है। अतः साक्ष्यवादी बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

पत्रावली में वादी द्वारा चाहे गये अनुतोषो के आधार पर निर्णय किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अनुतोष के आधार पर तनकीयात निम्नानुसार कायम की जा रही है :–

1. आया कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की कब्जेयाबी की डिक्री सादिर फरमाई जावें कि वादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम गुन्दली पटवार हल्का गुन्दली भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र पांसल तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०) में स्थित कृषि आराजी नम्बर 1948/180 रकबा 0.1897 हैक्टयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 से 03 से कब्जा दिलाने की कब्जेयाबी डिक्री वादीगण के पक्ष में एंव प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के विरूद्व सादिर फरमायी जावें।

जिम्मे वादी

2. आया कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम गुन्दली पटवार हल्का गुन्दली भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र पांसल तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०) में स्थित कृषि आराजी नम्बर 1948/180 रकबा 0.1897 हैक्टयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 से 03 द्वारा कब्जा करने की दिनांक से पुनः वादीगण को कब्जा सिपूर्द होने की दिनांक तक हर्जाना राशी प्रतिमाह 5000/– रूपया के हिसाब से वादीगण को प्रतिवादी सख्या 01 से 03 से दिलाया जावें।

जिम्मे वादी

7/5/24

सहायक कैलक्टर
भीलवाड़ा

पत्रावली का गुणवत्तापुर्ण निस्तारण किये जाने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के प्रावधान पर विचार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के प्रावधान निम्नानुसार है :–

कतिपय अतिचारियों की बेदखली –1. इस अधिनियम में के किसी उपबंध में किसी प्रतिकुल बात के होते हुए भी, अतिचारी, जो विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना किसी भूमि पर कब्जा कर लेता है या उसे बनाये रखता है तो उपधारा 2 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन, उसको बेदखल करने के लिए हकदार व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के द्वारा वाद करने पर, बेदखली के लिये दायी होगा और प्रत्येक उस संपूर्ण कृषि वर्ष अथवा उसके किसी भाग के लिए, जिनके दौरान उसने ऐसा कब्जा रखा, शास्ति के रूप में ऐसी राशि, जो वार्षिक लगान के 15 गुना तक हो सकेगी, संदत्त करने का अतिरिक्त रूप से दायी होगा।

उस भूमि के मामले में, जो सीधे राज्य सरकार से धारित है अथवा जिसके बारे में तहसीलदार के माध्यम से कार्य करते हुए राज्य सरकार अतिचारी को अभिधारी के रूप में स्वीकार करने के लिए हकदार है, तहसीलदार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के उपबंध के अनुसार –ऐसी अतिक्रमी प्रत्येक कृषि वर्ष के लिए, जिसमें वह पूरे साल या उसके भाग में वह कार्य भूमि पर अवैधानिक कब्जे में रहा हो अतिक्रमण के प्रथम कार्य के वार्षिक किरायों का स्थगन के 50 गुणे तक शास्ति का जैसा भी हो जिम्मेदार होगा। तत्पश्चात् से प्रत्येक अतिक्रमण के कार्य के लिए वह तहसीलदार के आदेश द्वारा 3 माह तक के लिए सिविल जेल का और उपरोक्त प्रकार की वर्णित शास्ति का भागीदार होगा। ऐसी शास्ति की राशि भू राजस्व बकाया के तौर पर वसूल की जायेगी।

धारा 5 (44) अतिक्रमी की परिभाषा:–अतिचारी से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो बिना प्राधिकार के भूमि पर कब्जा करता है या रखे रहता है या जो किसी अन्य व्यक्ति को, उसे सम्यक रूप से पट्टे पर दी गयी भूमि को, अधिभोग में लेने से रोकता है।

वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में चाहे गये अनुतोषों के आधार पर कायम तनकीयात के आधार पर पत्रावली का गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है:–

तनकी संख्या 01 आया कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की कब्जेयाबी की डिक्री सादिर फरमाई जावें कि वादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम गुन्दली पटवार हल्का गुन्दली भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र पांसल तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०) में स्थित कृषि आराजी नम्बर 1948/180 रकबा 0.1897 हैक्टयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 से 03 से कब्जा दिलाने की कब्जेयाबी डिक्री वादीगण के पक्ष में एंव प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के विरूद्ध सादिर फरमायी जावें।

जिम्मे वादी

वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस वादपत्र के तथ्यों का दोहराव करते हुए निवेदन किया कि वादी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज ग्राम गुन्दली की आराजी संख्या 1948/180 रकबा 0.1897 हैक्टयर भूमि पर पड़ोसी खातेदारान सरजू पत्नी भवाना वगैरहा का 12 बिस्वा पर व नारायण पिता गणेश वगैरहा का 2 बिस्वा 10 बिस्वांशी पर तथा 10 बिस्वांशी भूमि पर देवी पिता गिरधारी का यानि आराजी संख्या 1948/180 सम्पूर्ण पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 का कब्जा पाया गया, जिससे वादीगण की आराजी संख्या 1948/180 में प्रतिवादी सख्या 01 लगायत 03 का कोई हक अधिकार नहीं है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध कब्जेयाबी की डिक्री सादिर फरमाई जावे कि वादग्रस्त कृषि भूमि आराजी संख्या 1948/180 रकबा 0.1897 हैक्टयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 से कब्जा दिलाया जावे।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी संख्या 1948/180 रकबा 0.1897 हैक्टयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड होने से वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 का वादग्रस्त आराजियात पर कोई हक अधिकार निहित नहीं है। अतः तनकी संख्या 01 वादी अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है।

21/5/24

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

तनकी संख्या 02 आया कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम गुन्दली पटवार हल्का गुन्दली भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र पांसल तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०) में स्थित कृषि आराजी नम्बर 1948/180 रकबा 0.1897 हैक्टयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 से 03 द्वारा कब्जा करने की दिनांक से पुनः वादीगण को कब्जा सिपूर्द होने की दिनांक तक हर्जाना राशी प्रतिमाह 5000/– रूपया के हिसाब से वादीगण को प्रतिवादी सख्या 01 से 03 से दिलाया जावें।

जिम्मे वादी

वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि ग्राम गुन्दली पटवार हल्का गुन्दली भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र पांसल तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०) में स्थित कृषि आराजी नम्बर 1948/180 रकबा 0.1897 हैक्टयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 से 03 द्वारा कब्जा करने की दिनांक से पुनः वादीगण को कब्जा सिपूर्द होने की दिनांक तक हर्जाना राशी प्रतिमाह 5000/– रूपया के हिसाब से वादीगण को प्रतिवादी सख्या 01 से 03 से दिलाया जावें।

वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस का मनन एवं चिंतन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के अनुसार अतिक्रमी वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने की दिनांक से वादीगण को कब्जा सिपुर्द करने की दिनांक तक वादग्रस्त भूमि के लगान की 15 गुणा राशि बतौर शास्ति वादीगण को भुगतान करेगा। अतः तनकी संख्या 02 वादीगण अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट होता है कि वादीगण तनकी संख्या 01 अपने पक्ष में साबित करने में प्रथम दृष्टया सफल रहे है और तनकी संख्या 02 को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है। अतएव

–: आदेश :–

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम गुन्दली की आराजी संख्या 1522/1, 1535/1, 174/1, 1948/180, 596/1, 599/1, 691/1, 699/1 कुल किता 8 कुल रकबा 2.7820 हैक्टयर में स्थित कृषि आराजी संख्या 1948/180 के संबंध में वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध कब्जेयाबी की डिक्री सादिर पारित की जाती है एवं आराजी संख्या 1948/180 रकबा 0.1897 हैक्टयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 द्वारा कब्जा करने की दिनांक से पुनः वादीगण को कब्जा सिपूर्द होने की दिनांक तक वादग्रस्त भूमि के लगान का 15 गुणा राशि बतौर शास्ति वादीगण को भुगतान करने हेतु पाबंद किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

07/05/26

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा